कार्यालय परियोजना अधिकारी,
एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़, जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिका के रिक्त पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन

क्रमांक/350/बा.वि.परि./नियुक्ति/2026-27 सारंगढ, दिनांक–27.10.2026

छत्तीसगढ़ शासन महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय, दाउ कल्याण सिंह भवन, रायपुर के ओदश क्रमांक/728/1098/2008/मबावि/50 रायपुर, दिनांक 02.04.2008 के नियम 13 (1) (2) (3) (4) (5) (6) एवं संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग (छ.ग.) इन्द्रावती भवन ब्लॉक–01 द्वितीय तल नवा रायपुर अटल नगर के पत्र क्रमांक/**IT/830/2025-WCD HOD ITSECTION IT**/नवा रायपुर दिनांक 05/01/2026 के द्वारा आं0वा0 सहायिका के रिक्त पद में ई–भर्ती पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन नियुक्ति किये जाने के प्राप्त निर्देशानुसार एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़, जिला– सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ.ग.) अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र दुर्गापाली–1 के लिए आंगनबाड़ी सहायिका के पद रिक्त होने के कारण नियुक्ति करने हेतु ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाना है। उक्त पद की भर्ती हेतु इच्छुक पात्र महिलाएं **(उसी ग्राम की निवासी)** ई–भर्ती पोर्टल **URLhttps://aww.e-bharti.in** इस लिंक में दिनांक 27/10/2026 से 10/11/2026 तक ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की समस्त प्रक्रिया ई–भर्ती पोर्टल के **user manual** में दर्शित है, जिसका उपयोग कर आवेदन किया जा सकता है। परियोजना कार्यालय में उपस्थित होकर या डॉक से प्रेषित आवेदनों को स्वीकार नही किया जायेगा।

रिक्त पद का विवरण इस प्रकार है:–

क्रमांक	ग्राम का नाम	आं.बा. केन्द्र का नाम	रिक्त पद का नाम	रिक्त पद की संख्या
1.	दुर्गापाली	दुर्गापाली–1	आंगनबाड़ी सहायिका	1

–: नियुक्ति नियमावली व निर्देश :–

1. आंगनबाड़ी सहायिका के पद केवल महिलाओं के लिए ही होंगे।
2. आंगनबाड़ी सहायिका का पद पूर्णतः अस्थायी/मानसेवी होगा। शासन द्वारा निर्धारित दर पर प्रतिमाह मानदेय भुगतान किया जावेगा।
3. आंगनबाड़ी सहायिका के पद लिए आयु सीमा 18 वर्ष से कम तथा 44 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। आयु की गणना आवेदन आमंत्रित करने की तिथि से की जायेगी। सेवा की अधिकतम आयु 65 वर्ष होगी। गणना में पूर्ण होने वाले माह की अंतिम तिथि ली जाएगी (एक वर्ष या अधिक सेवा का अनुभव रखने वाली कार्यकर्ता/सहायिका को आयु सीमा में तीन की वर्ष छुट दी जावेगी 1 वर्ष से कम अनुभव की आवेदिका को आयु सीमा की छुट की पात्रता नहीं होगी।) ऐसी कार्यकर्ता/सहायिका जिन्हे अनियमितता के कारण पूर्व में सेवा से बर्खास्त किया गया है, उन्हे दोबारा सेवा में नही लिया जावेगा। अनुभव हेतु संबंधित परियोजना अधिकारी द्वारा जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र की मान्य किया जावेगा।
4. जिस ग्राम में रिक्त है, आवेदिका उसी ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए। आवदेन पत्र के साथ निवास के संबंध में निम्न में से कोई एक दस्तावेज संलग्न किया जावेगा:–

 (क) जिस ग्राम में रिक्त है, उस ग्राम की अद्यतन मतदान सूची में नाम दर्ज है उसका क्रमांक आवेदन पत्र में उसका उल्लेख कर प्रतिलिपि लगाई जावे।

 अथवा

 (ख) संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित अथवा पटवारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र, जिसमें ग्राम में निवासरत रहने का पता का स्पष्ट उल्लेख हो।

 टीपः– यदि किसी आवेदिका के निवास के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।
5. आवेदिका की चयन के समय आवेदन पत्र के साथ संपूर्ण दस्तावेजो में स्व प्रमाणित हस्ताक्षर होना अनिवार्य है।
6. आंगनबाड़ी सहायिका की शासन से मान्यता प्राप्त बोर्ड से निम्नानुसार आवेदिका की न्युनतम शैक्षणिक योग्यता (आवेदन की तिथि तक) अनिवार्य होगा:–

पद कानाम	शैक्षणिक योग्यता
आंगनबाड़ी सहायिका	शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8 वीं उत्तीर्ण

Scanned with OKEN Scanner

7. अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदिकाओं को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर 10 अंक प्रदाय किया जावेगा।
8. ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने संपूर्ण दस्तावेजों का मूल प्रति स्केनकर अपलोड करें।
9. गरीबी रेखा हेतु एस.ई.सी.सी. 2011 की प्रभावशील सूची से स्वतः शामिल सूचकांक अथवा वंचन सूचकांक में शामिल परिवार के सदस्य होने पर सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण–पत्र पर 06 अंक दिया जावेगा। इस हेतु संबंधित परिवार से सदस्यता के संबंध में राशन कार्ड की प्रति भी संलग्न करना अनिवार्य है। केवल वंचन सूचकांक 5 अंतर्गत सम्मिलित परिवार होने पर गरीबी रेखा अथवा जाति के आधार पर किसी एक योग्यता पर ही अंक दिया जावेगा ।
10. विधवा/परित्यकता/तलाकशुदा महिलाओं को 15 अंक अतिरिक्त दिया जावेगा। इस हेतु आवेदिका को निम्नानुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगाः–

 (क) परित्यकता के संबंध में निम्न में से कोई एक प्रमाण पत्र मान्य होगाः–

 1) संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच तथा सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र दिया गया हो तो उसे प्रस्तुत किया जावे।

 अथवा

 2) न्यायालय द्वारा जारी तत्संबंधी आदेश की प्रति।

 (नोटः परित्यकता महिला के संबंध में 02 वर्ष से अधिक की ही अवधि को मान्य किया जावेगा।)

 (ख) तलाकशुदा महिला होने के संबंध में न्यायलयीन आदेश की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

 (ग) यदि शासन से किसी प्रकार की आर्थिक सहायता/पेंशन प्राप्त किया जा रहा है तो उसका प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
11. पूर्व से कार्यरत न्यूनतम एक वर्ष की अनुभव धारण करने वाली कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका को 06 अंक अतिरिक्त प्रदान किया जावेगा। तद् संबंध में सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
12. निर्धारित योग्यता में 60 प्रतिशत अंक आधार पर प्रवीण्य सूची तैयार की जावेगी।
13. आवेदिका ऑनलाईन आवेदन करते समय अपने सम्पूर्ण दस्तावेजो का स्वयं भली–भाति जाचं कर लेवें। बाद में अथवा दावा आपत्ति के समय अंक प्रदान करने हेतु प्रस्तुत नवीन दस्तावेज मान्य नहीं होगा। दावा आपत्ति में मूल आवेदन के समय प्रस्तुत दस्तावेजों पर ही आपत्ति स्वीकार किये जावेगें।
14. त्रुटिपूर्ण आवेदन/अस्पष्ट आवेदन होने पर आवेदन निरस्त माना जावेगा।
15. निर्धारित समय तिथि के पश्चात आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।
16. कार्यालय परियोजना अधिकारी, एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़ द्वारा निर्धारित समय सीमा पर आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेगें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
सारंगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ0ग0)

पृ. क्रमांक/350 अ/बा.वि.परि./नियुक्ति/2026–27 **सारंगढ, दिनांक–27.10.2026**

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर, महोदय जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ0ग0 की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ0ग0 को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. जिला जनसंम्पर्क अधिकारी, सारंगढ़–बिलाईगढ़ छ0ग0 की ओर सूचनार्थ कर सादर संप्रेषित कृपया स्थानीय समाचार पत्रों में समाचार वृत्त के रूप में निशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत सारंगढ़ की ओर सादर सूचनार्थ संम्प्रेषित।
5. सभापति, स्थायी समिति स्वाथ्य एवं महिला बाल कल्याण जनपद पंचायत सारंगढ़ को सूचनार्थ।
6. संबंधित पर्यवेक्षक, सेक्टर सारंगढ़–02 को सूचनार्थ कर निर्देशित किया जाता है कि आप ग्राम में मुनादी करवा कर मुनादी प्रमाण पत्र 3 दिवस के भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।
7. संबंधित ग्राम पंचायत, सरपंच (दुर्गापाली) विकासखण्ड सारंगढ़ को सूचनार्थ। कृपया संबंधित कोटवार से मुनादी कराने हेतु कार्यवाही करने का कष्ट करें।

परियोजना अधिकारी
एकीकृत बाल विकास परियोजना
सारंगढ़, जिला–सारंगढ़–बिलाईगढ़ (छ0ग0)

Scanned with OKEN Scanner